UPAG010060752026

न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1, आगरा।

उपस्थित : पुष्कर उपाध्याय, एच0जे0एस0

<u>जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–2570/2026</u>

नितिन, उम्र करीब 19 वर्ष, पुत्र राहुल, निवासी–नगला मिया, तहसील–सासनी, थाना–सासनी, जिला–हाथरस।

——— प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ——— विपक्षी

मु0अ0सं0–167/2026
धारा– 305(ए), 331(4), 317(2), 317(4) बी.एन.एस.
थाना– ट्रांस यमुना, आगरा,

<u>दिनांक 20.06.2026</u>

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त **नितिन** की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–167/2026 अन्तर्गत धारा–305(ए), 331(4), 317(2), 317(4) बी.एन.एस., थाना ट्रांस यमुना, आगरा, जिला आगरा के मामले में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र प्रार्थी/अभियुक्त के पैरोकार अनित कुमार के शपथ पत्र से समर्थित है, जिसमें यह वर्णित है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, अन्य कोई जामनत प्रार्थना पत्र किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

3– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा नननेश कश्यप द्वारा थानाध्यक्ष, थाना ट्रांस यमुना, आगरा, आगरा को इस आशय की तहरीर दी गयी कि दिनाक 28.04.26 की रात समय–8 बजे में अपने मामा के यहा मुकन्दपुर मडराक जनपद अलीगढ बर्थडे में गया था। सुबह 29.04.26 को जब में लौटकर आ रहा, करीब 6 बजे मुकन्दपुर से निकला और घर आया तो देखा मेरे घर की मेन गेट का ताला टूटा हुआ था अन्दर जाकर देखा तो मेरी गोदरेज अलमीरा का ताला टूटा हुआ, पूरा सामान बिखरा हुआ था। अज्ञात चोरो ने ताला तोड़ा और जेवर सोने व चांदी के व रुपये चोरी कर लिये। जेवर व पैसौं की लिस्ट में बाद में देखकर बता दूंगा। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने का निवेदन किया गया।

4– वादिया मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर थाना– ट्रांस यमुना, आगरा,

जिला आगरा पर अज्ञात चोरों के विरूद्ध मु0अ0सं0 167/2026 धारा–331(4), 305(ए) बी.एन.एस. के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत हुई। दौराने विवेचना गिरफ्तारी/बरामदगी के आधार पर धारा–317(2), 317(4) बी.एन.एस. की बढ़ोत्तरी की गयी।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है तथा अभियुक्त का उक्त मामले से दूर–दूर तक कोई सम्बन्ध नहीं है, ना ही अभियुक्त ने उक्त घटना को अंजाम दिया है और ना ही अभियुक्त ने किसी प्रकार की कोई चोरी की है और ना ही अभियुक्त से कोई माल बरामद हुआ है। फर्द बरामदगी के अनुसार पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर दिनांक 03.05.2026 को झरना नाले के पास से अभियुक्त एवं अन्य दो अभियुक्त को गिरफ्तार करना दर्शाया है तथा अभियुक्त के कब्जे से एक सफेद धातु की पायल व 10,145/–रुपये बरामद होना दर्शाया है। उक्त मुकदमे की रिपोर्ट अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। पुलिस द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को गुडवर्क दर्शाने की नीयत से अभियुक्त को उक्त मुकदमे में झूंठा नामजद करा दिया है। वास्तविकता यह है कि थाना ट्रांस यमुना, आगरा की पुलिस दिनांक 01.05.2026 को अभियुक्त को उसके घर से पूछताछ के बहाने उठाकर ले गयी थी और एक दिन तक थाने पर अवैध अभिरक्षा में बैठाये रखा तथा छोड़ने के एवज में अवैध धनराशि की माँग करने लगे। रूपये न देने पर उक्त मुकदमे में झूठा संलिप्त कर चालान कर दिया है। फर्द बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी नहीं है, जबकि घटना स्थल पर हर समय काफी भीड़भाड़ रहती है। अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। उपरोक्त केस में अभियुक्त दिनाँक 03.05.2026 से जिला कारागार आगरा में निरूद्ध है। अतः उक्त आधारों पर जमानत हेतु याचना की गयी है।

6– अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अतएव जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है।

7– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया तथा केस डायरी व अभियोजन प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया गया।

8– अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त पर सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के घर ताला तोड़कर घर में घुसकर, अलमारी का ताला तोड़कर सोने, चांदी के जेवर व रुपये चोरी करने, पुलिस द्वारा अभियुक्त के कब्जे से एक जोड़ी सफेद धातु की पायल व रुपये बरामद होने तथा अभियुक्त द्वारा चुराई हुई संपत्ति का अभ्यासतः व्यापार करने का अभियोग है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना दिनांक 28.04.2026 समय 20.00 बजे की दर्शायी गयी है, किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट लगभग एक दिन बाद दिनांक 29.04.2026 को समय 21.40 बजे अज्ञात में दर्ज करायी गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नही है। फर्द बरामदगी के अवलोकन से विदित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी दिनांक 03.05.2026 की दर्शायी गयी है जिसमें प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से एक जोड़ी सफेद धातु की पायल व 10,145/–रुपये बरामद होना बताया गया है। फर्द के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त की गिरफ्तारी तथा बरामदगी सार्वजनिक स्थान की दर्शायी गयी है, किन्तु जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। अभियोजन पक्ष द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है जिससे यह प्रथम दृष्टया साबित होता हो कि प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा चुराई हुई संपत्ति का अभ्यास्तः व्यापार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त अपराध उपरोक्त में दिनांक 03.05.2026 से जेल में निरूद्ध है। अभियोजन द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास प्रस्तुत नहीं किया गया है। सहअभियुक्ता श्रीमती पिंकी की जमानत न्यायालय द्वारा दिनांक 29.05.2026 को स्वीकार की जा चुकी है।

9– अतः प्रस्तुत मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के विचार में अभियुक्त को कतिपय शर्तो के अधीन जमानत प्रदान किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त **नितिन** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु0 50,000/–रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू, सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप, दाखिल करने पर, प्रार्थी/अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :–

1. प्रार्थी/अभियुक्त विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा।
2. प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विवेचना/विचारण मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।
3. प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष नियमित रूप से उपस्थित रहेगा तथा अनावश्यक स्थगन नहीं देगा।
4. प्रार्थी/अभियुक्त समान प्रकृति के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन की दशा में सम्बन्धित न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

दिनांक 20.06.2026 ह0

(पुष्कर उपाध्याय)
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0–1,
आगरा।
आई0डी0 नं0–यूपी–6086

Digitally signed by PUSHKAR UPADHYAY
Date: 2026.06.20 12:42:30 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court